यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेटपरिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.–074423258

CMS NO.-2021/71

मिसल नम्बर–51/2021

1.रामप्रकाश आत्मज स्वर्गीय श्री भंवरलाल जी उर्फ भूरा जी जाति मीणा

2.हंसराज आत्मज स्वर्गीय श्री भंवरलाल जी उर्फ भूरा जी जाति मीणा

3.रमेश आत्मज स्वर्गीय श्री भंवरलाल जी उर्फ भूरा जी जाति मीणा निवासीगण ग्राम बडगांव तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0

प्रार्थी।

बनाम

1.राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान।

अप्रार्थी।

–:निर्णयः–

(राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत् प्रार्थना पत्र।)

दिनांक 28/3/21

उपस्थितिः–

1.श्री रविन्द्र खण्डेलवाल अधिवक्ता प्रार्थी।

2.सरकार पैरोकार।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत् प्रार्थना–पत्र प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण के पिता भंवरलाल जी उर्फ भूरा जी थे। जिनकी रेकॉर्डेड खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि आराजी खसरा नम्बर 511 की 1.01 है0, खसरा नं0 512 की रकबा 0.01 है0, ख0नं0 513 की रकबा 0.38 है0, ख0नं0 516 की रकबा 0.46 है0, ख0नं0 517 की रकबा 0.40 है0 ख0नं0 518 की रकबा 0.50 है0 कुल 6 किता की 2.76 है0 वाके ग्राम नान्दना उर्फ बडगांव पटवार हल्का नान्दना उर्फ बडगांव भू0अ0नि0 क्षेत्र सकतपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित चली आ रही है। प्रार्थीगण के पिता का वास्तविक नाम भंवरलाल जी था। भंवरलाल जी को घर भूरा जी के नाम से भी पुकारते थे, इसी कारण जब भंवरलाल जी के पिता भेरिया जी का देहान्त हुआ उनके स्थान पर उनके फौती इन्तकाल में भंवरलाल जी वास्तविक नाम दर्ज न कराकर भंवरलाल जी का घर का नाम भूरा अंकित करवा दिया गया, जिसके कारण उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में भंवरलाल जी नाम गलत रूप से भूरा ही अंकित चला आ रहा है। प्रार्थीगण के पिता का सही व वास्तविक नाम भंवरलाल है तथा प्रार्थीगण के पिता के समस्त दस्तावेजात जिसमें आधार कार्ड, वोटर आई.डी. एवं अन्य दस्तावेजात आदि में भी प्रार्थीगण के पिता का नाम भंवरलाल ही अंकित है, प्रार्थीगण के पिता समस्त संव्यवहार भी भंवरलाल जी के नाम से ही करते रहे है, किन्तु उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियो द्वारा भूरा अंकित कर दिया है, जो पूर्णतया गलत व त्रुटिपूर्ण होने से दुरूस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण के पिता भंवरलाल जी का देहावसान

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

क 01.10.2019 को हो चुका है, किन्तु उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में भंवरलाल जी का गलत व त्रुटिपूर्ण रूप से भूरा अंकित होने के कारण उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में के वारिस व उत्तराधिकारी प्रार्थीगण का फौती इन्तकाल तस्दीक नहीं हो पाया है, जिसके ारण प्रार्थीगण को काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। प्रार्थीगण अपने खाते की उक्त भूमि पर फसल आदि का मुआवजा प्राप्त नहीं कर पा रहे है ना ही उक्त भूमि अपने खाते दर्ज करवाकर लोन आदि प्राप्त कर पा रहे है ना ही उक्त भूमि को विकसित कर पा रहे है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के पिता के त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को दुरूस्त कर उनका वास्तविक व सही नाम भंवरलाल अंकित किया जाना न्यायोचित आवश्यक हैं। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 511 की 1.01 है0, खसरा नं0 512 की रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 513 की रकबा 0.38 है0 खसरा नं0 516 की रकबा 0.46 है0 खसरा नं0 517 की खसरा नं0 0.40 है0 खसरा नं0 518 की रकबा 0.50 है0 कुल 6 किता की 2.76 है0 वाकै ग्राम नान्दना उर्फ बडगांव पटवार हल्का नान्दना उर्फ बड़गांव भू0 अ0 नि0 क्षैत्र सकतपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित है, आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के पिता के गलत रूप से दर्ज नाम भूरा को इन्द्राज दुरूस्ती करते हुऐ भूरा के स्थान पर वास्तविक नाम भंवरलाल दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करे तथा अन्य न्यायोचित सहायता जो भी उचित हो वह भी फरमाई जावे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी वास्ते नोटिस प्रेषित किये गये।

प्रत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बहस प्रार्थीपक्ष द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र के कथनों को दोहराया। प्रार्थी की ओर से अपनी बहस के समर्थन में रामप्रकाश पुत्र स्व0 श्री भंवरलाल जी उर्फ भूरा जी के शपथ पत्र पेश हुये।

उपरोक्तानुसार बाद अवलोकन प्रार्थना–पत्र को प्रथम दृष्ट्या ही स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज प्रार्थीगण के पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर आई एवं प्रार्थीगण के आधार कार्ड, राशन कार्ड का अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजों के अवलोकन से भी इस बात की पुष्टि होती है कि भूरा एवं भंवरलाल एक ही व्यक्ति है। अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत् प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम नान्दना उर्फ बडगांव पटवार हल्का नान्दना उर्फ बडगांव में खाता सं0 119 खसरा नम्बर 511 की 1.01 है0, खसरा नं0 512 की रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 513 की रकबा 0.38 है0 खसरा नं0 516 की रकबा 0.46 है0 खसरा नं0 517 की खसरा नं0 0.40 है0 खसरा नं0 518 की रकबा 0.50 है0 कुल 6 किता की 2.76 है0 में दर्ज भूरा पुत्र भेरिया के स्थान पर भूरा उर्फ भंवरलाल पुत्र भेरिया हि0 1/2 जाति मीना निवासी ग्राम बड़गांव तह0 लाडपुरा दर्ज किया जावे।

उक्त निर्णय आज दिंनाकः 28/3/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★

(गजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा